तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/206/2003/जयपुर** **बिरदीचन्द व अन्य बनाम रामलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

——

निर्णय

दिनांकः—28.07.2023

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 6/2001 में पारित निर्णय दिनांक 17—10—2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अप्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद सहायक जिलाधीश, चौमू के न्यायालय में प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम नृसिंहपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर में अवस्थित वादग्रस्त आराजीयात् बाबत् राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाते हुए घोषणा खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती व विभाजन हेतु प्रस्तुत किया तथा साथ ही धारा 212 का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया जिसे न्यायालय सहायक जिलाधीश, चौमू ने अपने आदेश दिनांक 26.12.2000 द्वारा स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष पेश की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.10.2002 द्वारा आंशिक स्वीकार की गई। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/206/2003/जयपुर** **बिरदीचन्द व अन्य बनाम रामलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्तनीय है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने की परिस्थितियां नहीं होते हुए भी प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के जरिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देकर अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। विद्वान सहायक कलक्टर, चौमू ने आराजी खसरा नंबर 21 व 238 के बारे में अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं पारित करते हुए अन्य खसरा नबंर की मौके की वर्तमान स्थिति रखे जाने का आदेश दिया था। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपीलीय न्यायालय ने सहायक कलक्टर, चौमू के आदेश दिनांक 26.12.2000 में आंशिक संशोधन करते हुए आराजी खसरा नंबर 21 व 238 के बारे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को यथावत् रखा एवं अन्य खसरा नंबर जिनके बारे में यथास्थिति रखे जाने के आदेश दिए गए थे, निरस्त कर दिया। जबकि अपीलीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.10.2002 के विरूद्ध अन्य कोई अपील प्रस्तुत नहीं की थी, जिसके अभाव में अपीलीय न्यायालय, विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अधिकार नहीं रखते थे। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित है। अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के आदेश की वैधता को देखना चाहिए था, जब उन्हीं के द्वारा अपील संख्या 05/2001 में विवादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर दिया था तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को मौके के कब्जे की यथास्थिति रखे जाने हेतु पाबंद भी नहीं किया जा सकता और ना किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती थी। प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के सहकृषक है और जब तक भूमि का विभाजन नहीं हो जावें उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का आदेश दिनांक 17.10.2002 निरस्त किया जावें तथा वादी/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् आदेश है। विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है तथा उक्त भूमि में अप्रार्थीगण का आधा हिस्सा है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है, जो यथोचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में परिस्थितियों के मध्यनजर यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/206/2003/जयपुर** **बिरदीचन्द व अन्य बनाम रामलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश पारित किया था, जो विधिसम्मत् आदेश है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें। हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वादीगण/रेस्पोडेंटस ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौमू जिला जयपुर के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण/वर्तमान अपीलांटस के पेश किया जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.12.2000 को आदेश पारित किया कि :– '' विवादग्रस्त आराजी का निर्णय दावे में वाद साक्ष्य लेकर निर्णित किया जावेगा तब तक उभयपक्षकारान में खसरा नंबर 21 व 238 के अलावा अन्य विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर की भूमियों के संबंध में कोई विवाद नहीं बढ़े, तब तक उभयपक्षकारान को वाद को वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है । अतः पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 21 व 238 ग्राम नृसिंहपुरा के अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में अंकित वादग्रस्त खसरा नंबरों की मौके की वर्तमान स्थिति यथावत् बनाये रखे।'' विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.10.2002 द्वारा वर्तमान प्रार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश संशोधित करते हुए खसरा नंबर 21 व 238 के बारे में जो आदेश पारित किया गया है उसे यथावत् रखते हुए अन्य खसरा नंबरों के बारे में पारित यथास्थिति बनाये रखने के आदेश को निरस्त किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/वर्तमान अप्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 में यह अनुतोष चाहा था कि वर्तमान प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि के वादीगण/वर्तमान अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त तथा उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत या	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/206/2003/जयपुर** **बिरदीचन्द व अन्य बनाम रामलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मजाहमत पैदा नहीं करे तथा न ही अन्य किसी से करावें । इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने इस बारे में कोई निर्णय पारित नहीं कर केवल मात्र यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए कब्जे के बिन्दु का विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना होता है अथवा अस्वीकार किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट नहीं किया कि विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति किस प्रकार रखी जावेगी । इस संबंध में मण्डल का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं का विवेचन करते हुए कब्जे के बारे में स्पष्ट मन्तव्य प्रकट करना चाहिये तथा किसी भी स्थिति में यथास्थिति का आदेश बिना कब्जे के बिन्दु को निर्णित किए नहीं दिया जाना चाहिये किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धांतों के विपरीत यथास्थिति के आदेश पारित किए है । इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश संशोधित करते हुए खसरा नंबर 21 व 238 के बारे में जो आदेश पारित किया गया है, उसे यथावत् रखते हुए अन्य खसरा नंबरों के संबंध में पारित यथास्थिति बनाये रखने के आदेश को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नही होती है । परिणामत् प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2002 यथावत् रखा जाता है । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	